गुजरात राज्य

बनाम

पटेल बावा करसन और अन्य

22 फरवरी, 1980

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी.एस. कैलासम और ए.डी. कौशल, जे.जे.]

भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 14 और 19 और गुजरात नगरपालिका अधिनियम

धारा 233 और 236-नगरपालिका परिसरों से बेदखली को सशक्त बनाने वाला क़ानून - बेदखल करने के आदेश के खिलाफ सरकार को अपील – संवैधानिक प्रावधानों की वैधता।

गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 233 नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को व्यक्तियों को नगर निगम परिसर से बेदखल करने का अधिकार देती है।

अपील में प्रतिवादी नंबर 1 को अधिनियम की धारा 233(1) के प्रावधानों के अनुसरण में एक नोटिस द्वारा भूमि के एक टुकड़े का कब्जा इस आधार पर नगर पालिका को सौंपने की आवश्यकता थी कि वह उस पर अनधिकृत कब्जा में था। प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में नोटिस का विरोध किया, और विवाद का एकमात्र बिंदु

यह था कि क्या भारतीय अधिनियम की धारा 233 जिसके तहत बेदखली की कार्यवाही की गई थी, संवैधानिक रूप से वैध थी। उच्च न्यायालय ने उस अदालत के पिछले फैसले के मद्देनजर माना कि धारा 233 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो अधिकारातीत है।

इस न्यायालय में अपील में प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया था: (1) कि अहमदाबाद नगर निगम का मामला सही ढंग से तय नहीं किया गया था क्योंकि हालांकि छगनलाल मगनलाल के मामले में सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार था और साक्ष्य लेने का अधिकार संबंधित कानून द्वारा दिया गया था, पूर्व में, प्रासंगिक कानून निहित था ऐसा कोई प्रावधान नहीं, और (2) कि गुजरात अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन थे।

अपीलों को स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : (1) (i) उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और मुख्य अधिकारी के आदेश दिनांक 9-3-66 की पुष्टि की जाती है। [1090 जी]

(ii) नॉर्दर्न इंडियन कैटरल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में [1967] 3 एससीआर, 399, इस न्यायालय ने एक क़ानून पर विचार करते हुए जिसके प्रावधान लगभग गुजरात अधिनियम की धारा 233 के समान थे, वही दृष्टिकोण अपनाया। उच्च न्यायालय के

रूप में और क़ानून को रद्द कर दिया। यह निर्णय तब तक कायम रहा जब तक कि इसे अंततः छत्रलाल मगनलाल, [1975] 1 एससीआर 1 के मामले में खारिज नहीं कर दिया गया। अहमदाबाद नगर निगम और अन्य बनाम रमन लाल गोविंद राम और अन्य के बाद के फैसले में, [1975] 3 एससीआर 935, यह न्यायालय छगनलाल के मामले का पालन करते हुए मगनलाल ने बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1963 के एक प्रावधान को बरकरार रखा, जो गुजरात अधिनियम की धारा 233 के बराबर था। [1090 ए-सी]

(iii) एक बार सरकारी या अर्ध-सरकारी निकायों से संबंधित संपत्ति को एक विशेष वर्ग के अंतर्गत माना जाता है और इसलिए एक उचित वर्गीकरण, चाहे नागरिक उपचार दिया जाए या नहीं, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा, [10900 -एफ]

(iv) धारा 236 के तहत, उत्तरदाताओं को बेदखली के विवादित आदेश के खिलाफ सरकार के पास अपील दायर करने का अधिकार है। इस अनुभाग में एक विशिष्ट प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् सरकार की संतुष्टि के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर देरी को माफ किया जा सकता है। प्रविदादियों के लिए अपील दायर करना खुला होगा जिसका निपटारा सरकार द्वारा कानून के अनुसार किया जाएगा। [10900-एच, 1091 ए]

(2) यह तर्क कि गुजरात अधिनियम के प्रावधान उल्लंघनकारी थे अहमदाबाद नगर निगम और अन्य बनाम रमनलाल गोविंदरन और अन्य मामले में संविधान के अनुच्छेद 19 पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। [1090 ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1596 और 1224/1970

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एस. सी. ए. सं. 438/66 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31-1-1970 से उत्पन्न।

टी. यू. मेहता, डी. एन. मिश्रा और के. जे. जॉन, अपीलार्थी की ओर से सीए 1224/70 और आरआर 1596/70 में।

एस. सी. पटेल और एम. एन. श्रॉफ अपीलार्थी की और से सी. ए. सं. 1596/70 में ।

एम. के. राममूर्ति और विनीत कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 की और से सीए सं. 1224/70 में।

एस. सी. पटेल और एम. एन. श्रॉफ, प्रतिवादी संख्या 2 के और से सी. ए. सं.1224/70 में।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

फजल अली, न्यायाधिपति. प्रमाणपत्र द्वारा यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय के 31-1-1970 के एक फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें राजकोट नगर पालिका को एक परमादेश जारी किया गया था, जिसमें उसे प्रतिवादी नंबर 1 को गुजरात नगर पालिका अधिनियम (बाद में इसे गुजरात अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 233(1) के प्रावधानों के अनुसरण में जारी किये गए 9-3-1966 के नोटिस को लागू करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। उससे इस आधार पर भूमि के एक टुकड़े का कब्जा नगर पालिका को सौंपने की अपेक्षा की गई कि उसने उस पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का एकमात्र बिंदु यह था कि क्या गुजरात अधिनियम की धारा 233, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 को बेदखल करने की कार्यवाही की गई थी, संवैधानिक रूप से वैध थी या नहीं। उच्च न्यायालय ने उस न्यायालय के पिछले फैसले के मद्देनजर माना कि धारा 233 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो अधिकारातीत है। अपीलकर्ताओं ने अनुच्छेद 133(1)(सी) के तहत अपील करने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जो मंजूर कर लिया गया था; इसलिए यह अपील।

गुजरात अधिनियम की धारा 233 इस प्रकार है:-

"233. नगरपालिका परिसर से कुछ व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति। (1) यदि मुख्य अधिकारी संतुष्ट है-

(ए) कि नगरपालिका से संबंधित किसी भी परिसर (इसके बाद "नगरपालिका परिसर ÑÑ के रूप में संदर्भित) पर किरायेदार के रूप में या अन्यथा कब्जा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के पास-

(i) ऐसे परिसर के संबंध में दो महीने से अधिक की अवधि के लिए कानूनी रूप से देय किराए का भुगतान नहीं किया गया है, या

(ii) नगरपालिका की अनुमति के बिना, ऐसे पूरे परिसर या उसके किसी हिस्से को उप-किराए पर देना, या

(iii) अन्यथा किसी भी व्यक्त या निहित शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है, जिसके तहत वह ऐसे परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत है, या

(बी) कि कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका परिसर पर अनधिकृत कब्जा कर रहा है।"

मुख्य अधिकारी, तत्काल प्रभाव से किसी भी कानून में निहित किसी भी बात को समझते हुए, (i) डाक द्वारा या (ii) बाहरी दरवाजे या ऐसे परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर इसकी एक प्रति चिपकाकर, या (iii) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में दिए गए ऐसे अन्य तरीके से आदेश दे सकता है कि व्यक्ति के साथ-साथ कोई अन्य व्यक्ति जो पूरे या

परिसर के किसी भी हिस्से पर कब्जा कर सकता है, उन्हें नोटिस की सेवा की तारीख से एक महीने के भीतर खाली कर देगा।

(2) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उप-धारा (1) के तहत आदेश देने से पहले मुख्य अधिकारी उस व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस द्वारा सूचित करेगा कि उसने किस आधार पर प्रस्तावित आदेश दिया है और उसे निविदा देने का उचित अवसर देगा। ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण और साक्ष्य प्रस्तुत करना, यदि कोई हो, और कारण बताना कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के विस्तार के लिए मुख्य अधिकारी को आवेदन करता है तो मुख्य अधिकारी नोटिस में दावा की गई राशि के भुगतान और वसूली के लिए ऐसी शर्तों पर अनुमति दे सकता है जैसा वह उचित समझे। ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी लिखित बयान और ऐसे नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ मामले के रिकॉर्ड के साथ दायर किए जाएंगे और ऐसा व्यक्ति वकील, वकील या वकील के माध्यम से इस संबंध में कार्यवाही करने वाले प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होगा। लिखित रूप में ऐसा नोटिस उप-धारा (1) के तहत नोटिस की सेवा के लिए प्रदान किए गए तरीके से दिया जाएगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) के मामले में यह न्यायालय एक ऐसे कानून का अर्थ लगाते हुए, जिसके प्रावधान लगभग 233 गुजरात

अधिनियम की धारा 233 के प्रावधानों के समान थे, उच्च न्यायालय के समान दृष्टिकोण अपनाया और क़ानून को निरस्त कर दिया। इस निर्णय ने तब तक संभाला जब तक कि इसे अंततः छगनलाल मगनलाल (2) के मामले में खारिज नहीं कर दिया गया।

अहमदाबाद नगर निगम और अन्य बनाम रमनलाल गोविंदराम और अन्य (3) के बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने छगनलाल मगनलाल के मामले का पालन करते हुए बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1963 के एक प्रावधान को बरकरार रखा, जो धारा 233 के अनुरूप था। गुजरात अधिनियम. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री एम.के.राममूर्ति ने कहा कि अहमदाबाद नगर निगम के मामले (सुप्रा) का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि हालांकि छगनलाल मगनलाल के मामले (सुप्रा) में सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार था और साक्ष्य लेने का अधिकार दिया गया था। संबंधित क़ानून, पूर्व में, प्रासंगिक क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक बार सरकारी या अर्ध-सरकारी निकायों से संबंधित संपत्ति को एक विशेष वर्ग के अंतर्गत माना जाता है और इसलिए एक उचित वर्गीकरण, चाहे नागरिक उपचार दिया जाए या नहीं, छगनलाल मगनलाल के मामले में निर्धारित व्यापक सिद्धांत पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

यह भी तर्क दिया गया कि गुजरात अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन थे। इस विवाद पर अहमदाबाद नगर निगम एवं अन्य बनाम रमनलाल गोविंदराम एवं अन्य (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किया गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे हम खुद को पूरी तरह सहमत पाते हैं। इसलिए, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं और मुख्य अधिकारी के आदेश दिनांक 9-3-1966 की पुष्टि करते हैं।

हालाँकि, हम यह देख सकते हैं कि गुजरात अधिनियम की धारा 236 के तहत, प्रतिवादियों को बेदखली के विवादित आदेश के खिलाफ सरकार के पास अपील दायर करने का अधिकार है। इस अनुभाग में एक विशिष्ट प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् सरकार की संतुष्टि के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर देरी को माफ किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों के लिए यह खुला होगा कि वे मुख्य अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश के खिलाफ सरकार के पास अपील दायर करें जिसका सरकार द्वारा कानून के अनुसार निस्तारण किया जाएगा।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.के. ए.

अपीलें स्वीकार की गई।

(1) [1967] 3 एससीआर 399

(2) [1975] 1 एससीआर 1

(3) [1975] 3 एससीआर 935

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****